

न्यायालय राजस्व अधीन प्राधिकारी, जोधपुर
पीठाधीन अधिकारी श्री नरसिंह बरहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJU225RTA073 Ramuram Vs Bhanwarlal

1. राज्यात्म पुत्र स्वाम्यात्म जाट
2. इमाम्यात्म पुत्र स्वाम्यात्म जाट

----- अधीनस्थ

बलात्

1. भवरलाल पुत्र इमाम्यात्म जाट
2. सीतललाल पुत्र इमाम्यात्म जाट
3. भीमाम्यात्म पुत्र इमाम्यात्म जाट
4. बालदेवी पत्नी इमाम्यात्म जाट
5. जलद पुत्र इमाम्यात्म जाट नाबालिग वरिष्ठ कुरबी वीलया भावा
6. जलाम्यात्म पुत्र स्वाम्यात्म जाट

7. वरलीलदार लोहाट, लोला जोधपुर
- वरलील लोहाट, लोला जोधपुर
- सभी विवासीलाल नाम उदयलाल देवीक

----- देपुरे.

अधीन अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कसबकारी
 अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक
 कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलीदी दिनांक
 24 अर्ध 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 323/2017
 भवरलाल व अन्य बलात् राज्यात्म इत्यादि



उपस्थित-

श्री राजलाल विनोई, अधिवक्ता-अधीनस्थ

श्री सी.पी. चौधरी, अधिवक्ता-देपुरे. संख्या एक से छः

श्री इंदराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-देपुरे. संख्या सात

दि न र

दिनांक : 11 फर., 2020

अधीनस्थ व सहा अधीन विनोई सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
 अधिकारी, फलीदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 323/2017 भवरलाल व

राजस्थान सरकार
 जोधपुर जिला

की तरफ़ीम लखण रूस में यखल नही है। जब तक तरफ़ीम लखण रूस में यखल नही हो वाली, तब तक यस्ता यकार दिया जाना नानुमतिकल है।

अतः इस परिस्थिति को यखल में रखते हुए अपील अपीलानुस आशिक रलीकार की जाकर अपीलानुस आदेश दिनांक 24 अगुल 2018 अपरत किया जाता है और यकण रिमाण्ड कर लिदेश दिये जाते हैं कि अलीनरुख न्यायालय राजस्थान कलककरी अशिलियम की धारा 251ए के यलिनपत्र बलत किरी यकार का आदेश पारित किये जाने के पूर्व खसरा यलन 507 ए उसके विभिन्न बट्टा नम्बरान के खसरा की तरफ़ीम की कलककरी की जाते और उसके बाब का की परिस्थितिमें अनुसार न्यायाधिप आदेश पारित किया जाते।

लिफुय खले न्यायालय में सुनया गया।

11/12/2018

(नरनलन बरुड)

राजस्थान अपील पारिकारी नुसरा

राजस्थान न्यायालय

जयपुर

